



राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष पंचाट-पत्र (एवार्ड)

स्थान का नाम 0धवहार, ब्याघारुप, अरवल

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 के अधीन नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार
..... द्वारा आयोजित)

याची / वादी / परिवारी State

विरुद्ध

प्रतिवादी / प्रत्यार्थी Raju Yadav

वाद संख्या Cr. - 512/18

उपस्थित पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम : Shri Alok Kumar, PJM, Arwal

गैर न्यायिक सदस्य का नाम
1. Shri N. K. Sharma
2.

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने विवाद/मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है:-

राष्ट्रीय लोक अदालत में आधी हुई
के आधी पर वाद की विचारण
दिना 21/11

Handwritten notes and signatures in purple ink, including names like 'श्री अशोक कुमार' and 'श्री न. क. शर्मा'.

पक्षकारों को सूचित किया जाता है कि किसी पक्षकार द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया है तो न्याय शुल्क

उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

BIKRU KUMAR
याची / वादी / परिवारी

Handwritten signatures and names in purple ink, including 'N.K. Sharma' and 'श्री अशोक कुमार'.

न्यायिक सदस्य
तारीख :- 14.02.24

सदस्य

सदस्य